सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 08, सोमवार, *शाके* 1947- अप्रेल 28, 2025 *Vaisakha 08, Monday, Saka 1947- April 28, 2025*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 24, 2025

संख्या प.10(201)नविवि/3/2010 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.04.2012 द्वारा अधिसूचित पिलानी-विद्यविहार के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर पालिका, पिलानी-विद्यविहार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों एवं आमजन से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि पिलानी-विद्यविहार के नगरीय क्षेत्र अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान-2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, पिलानी-विद्यविहार में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग की Website: https://urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।